न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनील शर्मा, R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 07/2021 **दायर तारीख :–** 07-07-2021

1. प्रेम देवी पत्नि रामशरण जाति गुर्जर निवासी बडौदिया तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कार्यालय तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीया
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 08.12..2021

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बडौदिया के खाता संख्या 90 के हाल खसरा नम्बर 231/0.98, 232/0.15 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर प्रार्थीया की शामलाती खातेदारी भूमि है। प्रार्थीया ने उक्त आराजी खातेदारी भूमि का कार्यालय तहसील विराटनगर तहसीलदार विराटनगर के पत्रांक–भू.अ./2011/866/867 दिनांक 23.04.2015 की पालना में सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थीया अब अपनी भूमि पर स्थाई निशानात बनाए जाकर सीमा सुरक्षित करने के लिए पत्थरगढी करवाना चाहती है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम बडौदिया के खाता संख्या 90 के हाल खसरा नम्बर 231/0.98, 232/0.15 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर का सीमांकन पत्थरगढी एवं सीमा निश्चयकरण मय पुलिस इमदाद किए जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।
3. प्रार्थीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम बडौदिया खाता संख्या 90 संवत् 2074–2077, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 10.05.2015, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम बडौदिया के खाता संख्या 90 के हाल खसरा नम्बर 231/0.98, 232/0.15 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर प्रार्थीया की शामलाती खातेदारी भूमि है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थीया ने कार्यालय तहसील विराटनगर तहसीलदार विराटनगर के पत्रांक–भू.अ.

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

/2011/866/867 दिनांक 23.04.2015 की पालना मे सीमाज्ञान करवाया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीया की वर्णित भूमि वाके ग्राम बडौदिया के खाता संख्या 90 के हाल खसरा नम्बर 231/0.98, 232/0.15 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.13 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

(सुनील शर्मा, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)